



डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 15-03-2022 का कार्यवृत्त

कार्य परिषद् की बैठक अतिथि भवन, खन्दारी परिसर, आगरा पर दिनांक 15.03.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आहूत हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:-

- प्रो0 विनय कुमार पाठक- कुलपति = अध्यक्ष
- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 2. प्रो0 अचला गक्खर | 3. प्रो0 प्रदीप श्रीधर |
| 4. प्रो0 अनिल कुमार वर्मा | 5. प्रो0 बी0पी0 सिंह |
| 6. डा0 प्रीति जौहरी | 7. डा0 निर्मला यादव |
| 8. डा0 लता चन्दोला | 9. डा0 अमिता शर्मा |
| 10. डा0 नीलम यादव | 11. डा0 बी0डी0 शुक्ला |
| 12. डा0 रनवीर सिंह | 13. डा0 रोशन लाल |
| 14. डा0 जे0 पी0 शर्मा | 15. डा0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह |

श्री संजीव कुमार सिंह, कुलसचिव - सचिव

बैठक में श्री अजय कृष्ण यादव, परीक्षा नियंत्रक एवम् श्री ए0के0 सिंह, वित्त अधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम कुलसचिव श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा बैठक के सदस्यों का स्वागत करते हुये प्रो0 प्रदीप श्रीधर, डा0 नीलम यादव एवम् डा0 रनवीर सिंह को नवीन सदस्य नामित होने पर बधाई दी गई एवम् पुराने सदस्यों का उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। (परिशिष्ट -1)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 06.01.2022 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-4 में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार किया गया, चूंकि कुछ लोगों द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई है कि एक ही विभाग में एक ही समय में नियुक्ति होते हुये भी एक कर्मचारी का विनियमितीकरण कर दिया गया एवम् दूसरे कर्मचारी का विनियमितीकरण नहीं किया गया। यह कैसे सम्भव हुआ। अतः परिषद् द्वारा

.....2

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त स्थिति की जाँच करने के लिए विनियमितीकरण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों पर पुनर्अध्ययन किया जाना आवश्यक है, जिसमें दो विषयों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय:-

- (i) कर्मचारी की नियुक्ति स्ववित्तपोषित विभाग/संस्थान/पाठ्यक्रम में हुई है अथवा नियमित विभाग/संस्थान/पाठ्यक्रम में हुई है।
- (ii) जिस पद पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, वह पद शासन द्वारा सृजित है अथवा यदि विभाग/संस्थान/पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित है तो वित्त समिति और कार्य परिषद् द्वारा सृजित है अथवा नहीं।

उक्त विषय के निस्तारण हेतु परिषद् द्वारा 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी तथा अन्तिम निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

उक्त संशोधन के साथ कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2022 के कार्यवृत्त के समस्त विन्दुओं को यथावत् सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

2. कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -2)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. कार्य परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 19.02.2022 एवं दिनांक 14.03.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट -3)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 19.02.2022 एवं दिनांक 14.03.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. कार्य परिषद् द्वारा श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई-1358/जी0एस0 दिनांक 02 मार्च, 2022 के अनुपालन में डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में नये कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति में अधिनियम की धारा 12(2)(क) के अर्न्तगत विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा एक सदस्य नामित किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट -4)

निर्णय:- कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति में सदस्य नामित किये जाने हेतु माननीय कार्य परिषद् सदस्य डा0 रोशन लाल एवम् डा0 जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा प्रो0 डी0एस0 चौहान, सेवानिवृत्त प्राचार्य, ऐ0के0टी0यू0 का नाम प्रस्तुत किया गया एवम् अध्यक्ष द्वारा प्रो0 अनिल शुक्ला, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान का नाम प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दोनों नामों में से एक नाम चयन करने हेतु वोटिंग प्रक्रिया अपनायी जाय, तदोपरान्त कार्य परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा पर्ची के माध्यम से वोट किया गया, जिसमें प्रो0 डी0एस0 चौहान को 06 वोट मिले एवम्



.....3

प्रो० अनिल शुक्ला को 08 वोट मिले, इस प्रकार प्रो० अनिल शुक्ला, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान का नाम खोज समिति के सदस्य हेतु नामित करने का निर्णय लिया गया है।

5. कार्य परिषद् द्वारा प्रदेश स्थित महाविद्यालयों में शोध कार्यों को प्रोत्साहन/बढ़ावा दिये जाने हेतु सभी परास्नातक एवम् स्नातक विभागों के शिक्षकों को शोध निर्देशक बनाये जाने विषयक शासनादेश संख्या 2337/सत्तर-5-2021-11/2021 दिनांक 05 सितम्बर, 2021 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।(परिशिष्ट-5)
- निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उक्त शासनादेश को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

- 5(A). कार्य परिषद् द्वारा रिसर्च एडवाइजरी कमेटी दिनांक 02.02.2022 में अनुबन्धित शिक्षकों को निर्देशक बनाये जाने विषयक लिये गये निर्णय के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट -5 (A))

टिप्पणी:-संविदा शिक्षक जो विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान/सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालय में पाँच वर्ष से अनवरत शिक्षण कार्य कर रहे हों, को शोध निर्देशक बनाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की। अतः शोध विनियम-2018 के बिन्दु संख्या 6.2 में Only A full time teacher of the University/College can act a Supervisor के स्थान पर "Only A full time Regular Teacher/Contract Teacher of the University/Aided College can act a Supervisor" पढ़ा जाय।

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा शासनादेश 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13.03.2020 को अंगीकृत करते हुये रिसर्च एडवाइजरी कमेटी दिनांक 02.02.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

6. कार्य परिषद् को डा० आर०के० भारती, समाज कार्य, समाज विज्ञान विभाग, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय पालीवाल पार्क परिसर, आगरा को प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत पत्राक/आर०डब्लू/ 127/2022 दिनांक 10.03.2022 से अवगत कराना। (परिशिष्ट -6)

टिप्पणी:- कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 19.06.2019 के विनिश्चय संख्या-2 के अनुपालन में मा० कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 28.02.2022 के अनुक्रम में आपको कैरियर एडवान्समेंट योजना के अर्न्तगत (पुराने नियम से) समाजकार्य विषय में प्रवक्ता पद से वरिष्ठ प्रवक्ता वेतनमान पद पर देयता तिथि दिनांक 01.07.2003 तथा वरिष्ठ प्रवक्ता वेतनमान पद से उपाचार्य पद पर देयता तिथि दिनांक 27.12.2016 से वैयक्तिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है। यह प्रोन्नतियाँ कार्य परिषद् द्वारा गठित समिति की जाँच के अन्तिम निर्णय के अधीन मानी जायेगी तथा उपाचार्य पद की देयता तिथि दिनांक 27.12.2016 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त दिशा निर्देशों के अधीन रहेगी।

निर्णय:- कार्य परिषद् डा० आर०के० भारती, समाज कार्य, समाज विज्ञान विभाग, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय पालीवाल पार्क परिसर, आगरा की प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत पत्राक/आर०डब्लू/ 127/2022 दिनांक 10.03.2022 से अवगत हुई एवम् अनुमोदन प्रदान किया।

7. कार्य परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्नातक (शोध सहित) स्नातकोत्तर एवं पी०एच-डी स्तर पर लागू किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या-401/सत्तर-3-2022 दिनांक 09 फरवरी, 2022 लखनऊ को अंगीकृत किये जाने पर विचार।(परिशिष्ट -7)




.....4

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा उक्त शासनादेश को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

8. कार्य परिषद द्वारा प्रो० अजय तनेजा, रसायन विज्ञान विभाग, खन्दारी, आगरा को प्रति कुलपति नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट -8)

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रो० अजय तनेजा, रसायन विज्ञान विभाग, खन्दारी, आगरा को प्रति कुलपति नियुक्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. कार्य परिषद द्वारा प्रो० मो० अरशद-अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डा० रजनीश त्यागी-सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, डा० रनवीर सिंह- सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, डा० सलीम जावेद- सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ई० शैलेन्द्र सिंह- सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, (इनका उत्तरदायित्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण के साथ- साथ इनोवेशन एवं स्टार्टअप में भी रहेगा) प्रो० यू०एन० शुक्ला-समन्वयक, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल, प्रो० अनिल गुप्ता- सहायक समन्वयक ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल, डा० एस०के० जैन-सहायक समन्वयक ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल, प्रो० यू०सी० शर्मा-अधिष्ठाता, संकाय एवम् प्रो० वी०के० सारस्वत-निदेशक, आई०क्यू०ए०सी० नामित करने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट -9)

निर्णय:-कार्य परिषद द्वारा प्रो० मो० अरशद-अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डा० रजनीश त्यागी-सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, डा० रनवीर सिंह- सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, डा० सलीम जावेद- सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ई० शैलेन्द्र सिंह- सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, (इनका उत्तरदायित्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण के साथ- साथ इनोवेशन एवं स्टार्टअप में भी रहेगा) प्रो० यू०एन० शुक्ला-समन्वयक, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल, प्रो० अनिल गुप्ता- सहायक समन्वयक ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल, डा० एस०के० जैन-सहायक समन्वयक ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल, प्रो० यू०सी० शर्मा-अधिष्ठाता, संकाय एवम् प्रो० वी०के० सारस्वत-निदेशक, आई०क्यू०ए०सी० नामित किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. कार्य परिषद द्वारा प्रो० संजीव कुमार(गणित विभाग), अधिष्ठाता शैक्षणिक (डीन एकेडमिक) पद पर, डा० देवेन्द्र कुमार (रसायन विज्ञान विभाग) बेसिक साइंस एवं डा० अकुरं गुप्ता (लाइफ साइंस) खंदारी को सहायक अधिष्ठाता शैक्षणिक नामित किये जाने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट -10)

निर्णय:- कार्य परिषद द्वारा प्रो० संजीव कुमार(गणित विभाग), अधिष्ठाता शैक्षणिक (डीन एकेडमिक) पद पर, डा० देवेन्द्र कुमार (रसायन विभाग) बेसिक साइंस एवं डा० अकुरं गुप्ता (लाइफ साइंस) खंदारी को सहायक अधिष्ठाता शैक्षणिक नामित किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया।

.....5




11. कार्य परिषद् द्वारा प्रो० विनीता सिंह, संख्यिकी विभाग, समाज विज्ञान संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा को शोध सम्बन्धी विषयों का पर्यवेक्षण हेतु अधिष्ठाता शोध/डीन रिसर्च नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

(परिशिष्ट -11)

निर्णय:-कार्य परिषद् द्वारा प्रो० विनीता सिंह, संख्यिकी विभाग, समाज विज्ञान संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा को शोध सम्बन्धी विषयों का पर्यवेक्षण हेतु अधिष्ठाता शोध/डीन रिसर्च नामित किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया।

12. कार्य परिषद् द्वारा डा० संजय जैन, सेंट जौन्स कालेज, आगरा को कालेज विकास परिषद् का निदेशक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट -12)

निर्णय:-कार्य परिषद् द्वारा डा० संजय जैन, सेंट जौन्स कालेज, आगरा को कालेज विकास परिषद् का निदेशक नियुक्त किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया।

13. कार्य परिषद् द्वारा डा० राजीव वर्मा, सहायक आचार्य, समाज विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय के विरुद्ध योजित वादों एवं विधिक कार्यों के क्रियान्वयन तथा निस्तारण के लिए समन्वयक, विधि विभाग नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट -13)

निर्णय:-कार्य परिषद् द्वारा डा० राजीव वर्मा, सहायक आचार्य, समाज विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय के विरुद्ध योजित वादों एवं विधिक कार्यों के क्रियान्वयन तथा निस्तारण के लिए समन्वयक, विधि विभाग नियुक्त किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

1. कार्य परिषद् द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रवक्ता, लाइब्रेरी को अन्य प्रवक्ताओं के समान सुविधा अनुमन्य कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या-2382/सत्तर-5-2016-100/2009 दिनांक 31 अगस्त, 2016 को अंगीकृत किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट -1)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उक्त शासनादेश को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

2. कार्य परिषद् द्वारा विधि विभाग की आख्या "कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.02.2022 एवम् 08.03.2022 पत्राक विधि 677/2022 दिनांक 17.02.2022 पत्राक विधि/721/2022 दिनांक 08.03.2022 पत्राक विधि/720/2022 दिनांक 08.03.2022" के द्वारा निम्न अधिवक्ताओं को विश्वविद्यालय के पैनल में नामित किये जाने के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट -2)

.....6





- (i) श्री शुभम् त्रिपाठी- माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ।
(ii) श्री रोहित पाण्डे- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(iii) सुश्री शांभावी त्रिपाठी- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

निर्णय:-कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उक्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. कार्य परिषद् द्वारा आवासीय संस्थानों/विभागों में कार्यरत स्थायी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पत्राक आर0डब्लू/122/2022 दिनांक 04.03.2022 के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट -3)

निर्णय:-कार्य परिषद् द्वारा आवासीय संस्थानों/विभागों में कार्यरत स्थायी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पत्राक आर0डब्लू/122/2022 दिनांक 04.03.2022 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. कार्य परिषद् द्वारा डा0 अंकिता गुप्ता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, आहार एवम् पोषण विज्ञान विभाग, गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा के दिनांक 12.10.2021 से दिनांक 11.10.2022 तक एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश समाप्त होने के पश्चात् पुनः कार्यभार न ग्रहण करने की स्थिति में उक्त पद को रिक्त मानते हुये उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने पर विचार।(परिशिष्ट -4)

निर्णय:-कार्य परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया, चूंकि ग्रह विज्ञान संस्थान, खन्दारी में उक्त शिक्षिका के एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश पर रहने के कारण छात्राओं के अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः दिनांक 11.10.2022 तक जो कि डा0 अंकिता गुप्ता की अवैतनिक अवकाश समाप्त होने की तिथि है, के पश्चात् यदि उनके द्वारा अपना कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त पद को रिक्त मानते हुये नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

5. कार्य परिषद् द्वारा 87 वें दीक्षान्त समारोह में नवीन पदकों का सृजन किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट -5)

निर्णय:-गणमान्य व्यक्तियों के नाम पर विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह में विभिन्न पदकों का वितरण किया जाता रहा है, इसी क्रम में गणित समिति की संस्तुतियों के आधार पर आवासीय इकाई हेतु नए पदकों का सृजन किया गया है। जिनकी धरोहर राशि एकमुश्त रू0 2.00 लाख स्वर्ण पदक के लिए एवं एकमुश्त रू0 1.50 लाख रजत पदक हेतु निर्धारित की गई है। पदकों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	नवीन पदकों का नाम	प्रायोजककर्ता का नाम
1.	डा0 शान्ति स्वरूप शर्मा एवं बृज लता शर्मा स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में परास्नातक में भूगोल विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हेतु	प्रो0 भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा, लाइफ साइंस
2.	डा0 अजय कुमार शर्मा स्वर्ण पदक पत्रकारिता विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हेतु	श्रीमती मृदु शर्मा
3.	ऐश्वर्या शर्मा स्वर्ण पदक. वी0ए चित्रकला (ड्राइंग एण्ड पेंटिंग) में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हेतु	प्रो0 संजीव कुमार, गणित विभाग





.....7

4.	श्री निरंजन प्रसाद सारस्वत स्वर्ण पदक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हेतु	प्रो० वी०के० सारस्वत, निदेशक, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
5.	प्रो० प्रतिमा अस्थाना स्वर्ण पदक एम०ए० हिस्ट्री एवं कल्चर पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हेतु	प्रो० सुगम आनन्द, इतिहास विभाग
6.	कु० काजल सिंह स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर एम०सी०ए० पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हेतु	प्रो० मनु प्रताप सिंह, कम्प्यूटर साइंस विभाग
7.	श्रीमती सुमन गुप्ता स्वर्ण पदक बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हेतु	प्रो० अनिल गुप्ता, यूनिवर्सिटी कम्प्यूटर सेंटर
8.	श्री महन्त उद्धवपुरी स्वर्ण पदक संस्कृत एम०ए० पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हेतु	महन्त श्री योगेश पुरी, महन्त श्री मनकामेश्वर महादेव
9.	प्रो० राजेश्वर प्रसाद स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संस्थान में संचालित एम०एस०डबल्यू० में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी हेतु	श्री अभिनय प्रसाद, इण्डियन सोशल साइंस एसोसियेशन, प्रबंधन ट्रस्ट

कार्य परिषद् द्वारा उक्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में निर्माण कार्यों की परियोजना तैयार करने पर विचार।

निर्णय:- परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया कि विश्वविद्यालय में समस्त इमारतों का निरीक्षण किया जाय तथा पहले से निर्मित इमारतों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है तथा कहा कहा पर इमारतों के जीर्णोधार की आवश्यकता है तथा अगले 10 वर्षों तक विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य किये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं पर निर्णय लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:-

- प्रो० शरद चन्द्र उपाध्याय- निदेशक, दाऊदयाल संस्थान खन्दारी, आगरा।
- प्रो० वी०के० सारस्वत- निदेशक, आई०ई०टी० खन्दारी, आगरा।
- विश्वविद्यालय अभियन्ता।

7. कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में सोलर सिस्टम लगाये जाने पर विचार।

निर्णय:- परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में सोलर सिस्टम लगाये जाने के लिए प्रो० वी०पी० सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग को को-ओर्डिनेटर नियुक्त किये जाने की संस्तुति की तथा यह भी निर्णय लिया गया कि 03 महीने में कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

8. कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के लिए कुलगीत का निर्धारण किय जाने पर विचार।

निर्णय:- परिषद् विचार विमर्श किया गया कि विश्वविद्यालय का अपना एक कुलगीत होना चाहिए। श्री देवाशीष गांगुली द्वारा रचित कुलगीत को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दिया जाय तथा निम्न सदस्यों की समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाय:-





.....8

- (i) प्रो० प्रदीप श्रीधर-निदेशक, के०एम०आई।
 - (ii) प्रो० संतोष बिहारी शर्मा- दाऊदयाल संस्थान, खन्दारी, आगरा।
 - (iii) डा० अमिता शर्मा- संकायाध्यक्ष ललित कला।
 - (iv) श्री देवाशीष गांगुली- ललित कला संस्थान, सिविल लाइन्स, आगरा।
- अन्तिम निर्णय हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

9. कार्य परिषद् द्वारा निरीक्षण मण्डल गठन दिनांक 06.01.2022 के उपरान्त कुलपति जी द्वारा महाविद्यालयों में सम्बद्धता दिये जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु नामित किये गये सदस्यों की सूची के अनुमोदन पर विचार।
(परिशिष्ट-6)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उक्त सूची को अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. कार्य परिषद् द्वारा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में विभिन्न विषयों हेतु विषय वार दिनांक 06.01.2022 के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा शिक्षक चयन किये जाने हेतु प्रदान किये विषय विशेषज्ञों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-7)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा समस्त विषय विशेषज्ञों के नामों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

11. कार्य परिषद् द्वारा शासन के पोर्टल के माध्यम से नवीन/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को अतिरिक्त विषय/नवीन पाठ्यक्रम हेतु 51 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये गये एवम् पोर्टल के माध्यम से 10 महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की गई तथा एक महाविद्यालय को महिला महाविद्यालय से सह-शिक्षा में ऑफ लाइन सम्बद्धता प्रदान की गई की सूची को अनुमोदन किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-8)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उक्त सूची को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

12. कार्य परिषद् को राजकीय श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ को बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 हेतु(100 सीट+25 सीट ई०डब्लू०एस०) कुल 125 सीट के साथ माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 14.02.2022 के क्रम सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है, से अवगत कराना। (परिशिष्ट-9)

निर्णय:- कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

13. कार्य परिषद् द्वारा बी०एस०सी० (नर्सिंग) 04 महाविद्यालय, बी०ए०एम०एस० 04 महाविद्यालय, एम०डी०/एम०एस० (आयुर्वेदिक) 02 महाविद्यालय, एम०बी०बी०एस० 01 महाविद्यालय, एम०डी० (पीडियाट्रिक्स) 01 महाविद्यालय, डेंटल 02 महाविद्यालय, बी०एच०एम०एस० 01 महाविद्यालय, एम०डी० (होम्योपैथिक) 01 महाविद्यालय, संचालित महाविद्यालयों की सम्बद्धता/विस्तारण प्रदान की जानी है, के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-10)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उक्त हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

14. कार्य परिषद् द्वारा महाविद्यालयों की स्थायी सम्बद्धता पर विचार।

निर्णय:- कुलसचिव द्वारा माननीय सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की निर्धारित समयावधि पूर्ण हो जाने तथा स्थायी मान्यता सम्बन्धी निरीक्षण मण्डल की संस्तुति प्राप्त




होने के बाद भी, विगत कई वर्षों से स्थायी सम्बद्धता प्रदान नहीं की जा रही है। महाविद्यालयों द्वारा इस विषय में अनेक प्रत्यावेदन दिये गये हैं।

ऐसी स्थिति में, ऐसे समस्त महाविद्यालय, जिन्होंने स्थायी सम्बद्धता सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, एवं वर्तमान में भी अवस्थापना सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण करते हो, सम्बन्धी शपथ-पत्र ले लिया जाए तथा यथा शीघ्र स्थायी मान्यता प्रदान कर दिया जाय। समस्त माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की एवं इस कार्य हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक के समापन की घोषणा की गई।


कुलसचिव


कुलपति